न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)

राजस्व प्रकरण संख्या – 07 / 2016

...जा पिता जोखा जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी माचा हाल - अगोरिया तहसील सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)

------------ वादी

बनाम

1. शान्तु पिता धन्ना पटेल जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी माचा, ईटाला तहसील सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. अनिल पिता हरदार पटेल जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी माचा, ईटाला तहसील सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. भरत पिता धन्ना पटेल जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी माचा, ईटाला तहसील सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. वागजी पिता धन्ना पटेल जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी माचा, ईटाला तहसील सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. केलाश पिता धन्ना पटेल जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी माचा, ईटाला तहसील सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. क्षेत्रीय वन अधिकारी, सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. श्रीमान् तहसीलदार साहब तहसील सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)

---------- प्रतिवादीगण

<u>दावा अन्तर्गत धारा 183, 209 राज. टिनेन्सी एक्ट</u>

1. विद्वान अभिभाषक वादी – श्री हवसिंग कटारा

निर्णय

दिनांक – 26.12.2017

वादी का वाद-पत्र विरुध्द प्रतिवादीगण पेश कर निवेदन किया है कि-

1. यह कि वादी की कृषि भूमि ग्राम माचा पटवार मंडल ईटाला में खाता नं. 17 नई 16 पुरानी जमाबंदी संवंत 2072-2075 खातेदारी में दर्ज है जिनका विवरण निम्नानुसार है –

खसरा नम्बर	रकबा	लगान
117	1.16	0.70
141	2.72	1.63
143	1.00	0.60
144	0.40	0.24
243/142	0.55	0.33
कुल खसरा – 05	5.83	3.50

2. यह की मोजा माचा तह – सज्जनगढ़ की उपरोक्त वर्णित भूमी से लगती हुयी पूर्व दिशा में वन भूमि स्थित है तथा वन भूमि में होकर बाँसवाड़ा से कुशलगढ़ वाया ताम्बेसरा मुख्य सड़क निकलती है सड़क एवं वादी के बीच की पड़त भूमि जो वन विभाग की है उस पर वादी 1980 के पूर्व से क़ाबिज होकर काश्त करता है एवं मौके पर कब्ज़ा है | भारत सरकार की अधिसूचना जनजाति एनी पारंपरिक वनवासी (वनाधिकार को मान्यता) नियम 2007 के अंतर्गत वादी को वनाधिकार समिति जिला बाँसवाड़ा द्वारा वादी को दिनांक 31-12-2009 को वन अधिकार का पट्टा जरी किया गया |
3. यह की ग्राम माचा की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि एवं वन भूमि वादी का 1980 के पहले से निरंतर कब्ज़ा होने से वादी के पिता स्व. जोखा का स्वर्गवास होने पर उसी भूमि पर 1986 में अंतिम संस्कार कर समाधी बनायीं गयी है जो मोके पर मोजूद है | वादी का कब्ज़ा होने का ग्रामवासीयान भी जानते है | वनाधिकार हेतु आवेदन करने पर ग्राम वन समिति द्वारा कब्जे की रिपोर्ट बनायीं गयी है | वह मोजूद है ग्राम माचा का नक्सा ट्रैश वादी की कृषि भूमि व वन भूमि के आराजी नम्बर 260/156 मिलन करने पर

स्पष्ट हो जाता है की वादी को वनाधिकार की दी हुयी भूमि वादी के खाते की भूमि वसड़क के भीच की भूमि ही है |

4. यह की प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि में जबरन प्रवेश कर कब्ज़ा करने का प्रयास करने पर वादी द्वारा श्रीमान थानेदार साहब थाना कुशलगढ़ को दिनांक 30-03-2012 को श्रीमान तहसीलदार साहब सज्जनगढ़ को दिनांक 18.08.2014 को श्रीमान जिला कलक्टर बाँसवाड़ा को दिनांक 14-11-2014 को श्रीमान वन संरक्षक बाँसवाड़ा को प्रार्थना पत्र दिए गए कई बार पटवारी सरपंच, वन अधिकारी व पुलिस अधिकारी मोके पर आये किन्तु आज तक निराकरण नहीं हुआ है | इस बिच में प्रतीवादीगण सं. 1 ने आलीशान पक्का भवन प्रतीवादी सं. 2 ने पक्का मकान, प्रतीवादी सं. – 3 ने धार्मिक चर्च, प्रतीवादी सं. 4 ने नीव भर ली एवं प्रतीवादी सं. 5 का मकान का कार्य निर्माणाधीन है | उपरोक्त सारे पक्के निर्माZण गत 2 वर्ष में कर लिए गए है | वादी दर-दर भंटक रहा है कही कोई सुनवाई नहीं हुयी है | प्रतीवादीगण द्वारा वादी की शांतिपूर्ण कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर मकान बना लिए गए है एवं लडाई झगडे पर उतारू है | एसी अवस्था में प्रतीवादीगण का अवेध कब्ज़ा हटाना आवश्यक हो गया है |

5. यह की वादी एवं प्रतीवादीगण ग्राम माचा के ही निवासी है प्रतीवादीगण सं. 1 राशन डीलर होकर राजनितिक दल का नेता है हर दृष्टि से सक्षम है | वादी ग्राम माचा का निवासी होकर वर्तमान में ग्राम अगोरिया ग्राम पंचायत टांडा रतना में निवासरत है वादी की आयु 75 वर्ष से अधिक है | ईएसआई अवस्था में प्रतीवादीगण नाजायज फायदा उठाकर वादी की भूमि हडपना चाहते है अतः वादी को सुरक्षा प्रदान किया जाना व अवेध कब्ज़ा हटाने की डिक्री जरी करना आवश्यक है |

6. यह की वादी का मुख्या पेशा कृषि एवं मजदूरी है तथा उपरोक्त वर्णित जमीन पर काश्त करते है | एवं आय का मुख्य साधन कृषि है, जिस पर प्रतीवादीगणों द्वारा रूकावट पैदा की जा रही है | अब वर्तमान समय में रबी फसल की बोवनी होगी उसमें भी प्रतीवादी द्वारा व्यवधान पैदा करने से वादी को अपूर्णीय क्षती होगी जिसका आंकलन संभव नहीं है |

7. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए । प्रतिवादीगण सं. 1 से 7 उपस्थित । बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद भी प्रतीवादीगण सं. 1 से 5 की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया ओर न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया | क्षेत्रीय वन अधिकारी डूंगरा, मुख्यालय सज्जनगढ़ द्वारा पत्रांक लेखा / क्षे.व.अ. / 2017-18 / 393 दिनांक 26-09-2017 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया की ग्राम माचा के खसरा नम्बर 260/156 रकबा 0.96 हे. भूमि का वनाधिकार पट्टा वादी तेजा पिता जोखा के पक्ष में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा जारी किया गया है तथा दावा पत्रावली के प्रपत्र – 6 में अंकित 5 बिन्दुओ के जीपीऐस कोर्डिनेटर्स से सिमाज्ञान करा दिया गया है एव प्रपत्र – 6 की प्रति भी उपलब्ध करा दी गयी है | तहसीलदार सज्जनगढ़ द्वारा पत्रांक वाचक / 17 / 618 दिनांक 26-09-2017 से रिपोर्ट / जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है की खसरा नम्बर 260 / 156 पर वादी का कब्ज़ा काश्त है | वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में श्री तेजा पुत्र जोखा जाति भील उम्र 80 वर्ष निवासी माचा हाल अगोरिया, तह – सज्जनगढ़ (PW - 1), श्री रेवला पिता बदिया गरासिया जाति भील उम्र 65 वर्ष निवासी तह – सज्जनगढ़ (PW – 2), श्री वालू पिता चंपा वसुनिया जाति भील उम्र 52 वर्ष निवासी माचा तह – सज्जनगढ़ (PW – 3), शांति लाल पिता जोखा जाति भील उम्र 52 वर्ष निवासी माचा तह – सज्जनगढ़ (PW – 4), अशोक पिता सोहन दोदियर जाति भील उम्र 38 वर्ष निवासी माचा तह – सज्जनगढ़ (PW – 5), कल्याण सिंह पिता खातु गरासिया जाति भील उम्र 70 वर्ष निवासी माचा तह – सज्जनगढ़ (PW – 6), शांति लाल पिता हवला भाभोर जाति भील उम्र 55 वर्ष निवासी माचा तह – सज्जनगढ़ (PW – 7) के शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान कलमबद्ध करवाए गए जो शामिल पत्रावली किये गए | प्रदर्श – 1 वनाधिकार पत्र, प्रदर्श – 2 वन विभाग प्रतिनिधि की रिपोर्ट, प्रपत्र – 6 तथा प्रदर्श – 3 चोसाला जमाबंदी ग्राम माचा सम्वंत 2074 – 2077 तथा मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया गया | वादी के हक़ में ग्राम माचा के खसरा नम्बर 260 / 156 के 0.96 हे. भूमि का वनाधिकार पट्टा जारी किया जाना सिद्ध होता है|

अतः प्रस्तुत वाद पत्र के संलग्न प्रपत्र 6 में अंकित सीमाज्ञान अनुसार वादी के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 260/156 रकबा 0.96 हे. से प्रतीवादीगण सं. 1 से 5 को बेदखल किया जाता है | वन विभाग पुलिस की इमदाद लेकर वादी के वनाधिकार पट्टे में शामिल आराजी से प्रतीवादीगण को बेदखल कर वादी को रेस्टोर करे | निर्णय सरे-इजलास सुनाया गया | निर्णयानुसार डिक्री जारी होकर शामिल पत्रावली होकर आज दिनांक 26.12.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर से जारी किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो ।

(नवल किशोर गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
सज्जनगढ़ , जिला बांसवाड़ा (राज.)

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

ओ. 20 रुल 6 – 7 जाब्ता दिवानी

मुकाम – सज्जनगढ़

अदालत – उपखण्ड अधिकारी

इजलास – नवल किशोर गुप्ता (R.A.S.)

1. तेजा पिता जोखा जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी माचा हाल - अगोरिया तहसील सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)

---------वादीगण

बनाम

1. शान्तु पिता धन्ना पटेल जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी माचा, ईटाला तहसील सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. अनिल पिता हरदार पटेल जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी माचा, ईटाला तहसील सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. भरत पिता धन्ना पटेल जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी माचा, ईटाला तहसील सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. वागजी पिता धन्ना पटेल जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी माचा, ईटाला तहसील सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. केलाश पिता धन्ना पटेल जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी माचा, ईटाला तहसील सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. क्षेत्रीय वन अधिकारी, सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. श्रीमान् तहसीलदार साहब तहसील सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)

------ प्रतिवादीगण

मुकदमा नं. – 2016/00007

दावा बाबत् – 183, 209 रा. का. अ.

निर्णय दिनांक – 26.12.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसलस कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिब मुदई रुबरु अभिभाषक मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है / डिक्री जारी की जाती है कि –

प्रपत्र 6 में अंकित सीमाज्ञान अनुसार वादी के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 260/156 रकबा 0.96 हे. मौजा माचा तहसील सज्जनगढ़ से प्रतीवादीगण संख्या 1 से 5 तक वादी के वनाधिकार पट्टे में शामिल आरासी से प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादी के कब्जे काश्त को रेस्टार करे। पक्षकारान खर्चा अपना – अपना वहन करें।

मिज .... मुलालिग .... बात .... खर्चा इस मुकदमें के मय सदबशरह .... फिसदी सालना आज तारीख से तारीख अदायगी तक .... बासिब्त मेरे दस्तखत व मुहर के आज तारीख 26.12.2017 को जारी की गई।

(नवल किशोर गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
सज्जनगढ़

मुदई	रुपया पैसा	मुदायलाल	रुपया पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		मेहनताना	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत् इजराय हुक्मनामा	
बाबत् इजराय हुक्मनामा		मुतफरिक मिजान मुतफख्यिख	

नोट – इस खर्चे के फार्म पर कुल हर दो फरिकेन को चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।